07/16

आवेदक अनुपालत, अधिवक्ता अनुपस्थित। अनावेदिका द्वारा कोई नहीं। प्रकरण आवेदनपत्र धारा 24 हि.वि.अधि. के जवाव/तर्क हेत

नियत है।

आवेदक व अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा बार-बार पुकार लगाई गई. किन्तु पुकारोपरांत आवेदक व अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रकरण आवेदक की उपस्थित/अग्रिम कार्यवाही हेतु

मध्यान्तर पश्चात पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

पुनश्च :-

उभयपक्ष पुर्ववत।

प्रकरण मध्यान्तर पश्चात पेश हुआ।

आवेदक को न्यायालय द्वारा पुनः बार—बार पुकार लगाइ गई, किन्तु पुकारोपरांत आवेदक व अधिवक्ता अनुपस्थित है। न्यायालयीन समय समाप्त होने को आवेदक व उसके अधिवक्ता का और इंतजार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में इसी स्तर पर अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा

जावे।

(पी. सी अय)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड